उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-10

संख्या-52/2023/232/23-10-2023-12(सेतु)/2022

लखनऊः दिनांक 09 फरवरी, 2022

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत 09 लघु सेतुओं के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-51/2023/1449/23-10-22-12(सेतु)/22 दिनांक 07.02.2023 को निरस्त करते हुये पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-50/2023/1449/23-10-22-12(सेतु)/22 दिनांक 07.02.2023 के प्रस्तर-2 की तालिका के क्रमांक-1 के कॉलम-4 में त्रुटिवश अंकित धनराशि रू0 88.562 लाख के स्थान पर धनराशि रू0 562.88 लाख पढ़ी जाये।

उक्त शासनादेश संख्या-50/2023/1449/23-10-22-12(सेतु)/22 दिनांक 07.02.2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष तथ्य एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

प्रभुनाथ

विशेष सचिव।

संख्या-52 /2023/232/23-10-2023-12(सेतु)/2022 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी ।

3- प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग ।

5- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।

6- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

8- संबंधित जनपदों के वरिष्ठ कोषाधिकारी ।

9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।

10-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।

11-बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद सक्सेना)

अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in